

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

क्र.सं.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1-	संस्था/संगठन का नाम	श्री इनार्डल विप्र विद्यालय समिति
2-	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	भाई अर्पण शर्मा
3-	डाक पता, टेलीफोन नं., मोबाइल नं. एवं मेल आई.डी.	S-2, Sector 1, विद्यालय नगर जयपुर
4-	भूमि आवंटन का उद्देश्य	श्रीमण संस्थान / उच्च नाट्यमंडप विद्यालय इन्हें दोनों वाले
5-	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) (मण्डल की योजना का नाम)	प्रताप नगर संगमने, जयपुर
6-	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	2000 एकड़ीय
7-	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेदश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण)	संसाधन के सभी क्षेत्रों की मिशन बटा
8-	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विद्यालय नगर से छात्रावास 1600 बीघा
9-	संलग्न विये जाने वाले दस्तावेज	
	✓ i- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	मूलग्रन्थि
	✓ ii- बाईलॉज/रेग्युलेशन	संलग्न है।
	✓ iii- गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट	संलग्न है।
	iv- संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न है।
	v- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)	संलग्न है।
	vi- रु. 5900/- (पाँच हजार नो सौ रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हो।	D.D. No. 709486 dt. 11.07.2023 Rs 5900/-

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियां आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु खतंत्र रहेगा।

दिनांक : 13.07.2023

स्थान : जयपुर

नाम व पद

श्री खाण्डल विप्र विद्यालय समिति,
जयपुर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

परिशिष्ट-1

**नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक / चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि
आवंटन बाबत् निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट**

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	श्री २०१७५८८ विष्णु विद्यालय समिति
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	प्रतापनगर, संगानेंद्र, जयपुर
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	प्रतापनगर, संगानेंद्र, जयपुर
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	०४.०२.१९५७ - द्वितीय
संस्था का गत तीन वर्ष का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	सीलडगत है
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/ किये जा रहे कार्यों का विवरण	स्कूल के सभी कार्यों को प्रियोग
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत् परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	द्वितीय है।

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा	स्कूल के सभी कार्यों को प्रियोग
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत् नोर्मस	
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हाँ तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	जयपुर विद्यालय उधानकरण द्वारा विद्यालय नगर में लगातार १६० कर्गीय
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद्/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के सम्बन्ध में विवरण	
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा की जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत् वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	
अन्य विवरण	१५३ अभिमत

श्री खण्डल विष्णु विद्यालय समिति,
जयपुर स्तानक

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETIES

ACT XXI OF 1860.

No. 278 of 1956-57.

I hereby certify that SHRI KHANDEL VIPRA
VIDHYALAYA SAMITI JAIPUR (RAJASTHAN)
has this day been registered under Societies
Registration Act, XXI of 1860.

Given under my hand at Jaipur
this EIGHTH day of FEBRUARY One thousand Nine Hundred
Fifty Seven.

(A. R. KHARE)

Registrar of Companies,
Rajasthan, Jaipur.

अध्यक्ष
श्री खान्दल विप्र विद्यालय समिति,
जयपुर

अध्यक्ष
श्री खान्दल विप्र विद्यालय समिति,
जयपुर